

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 491 / 2014  
संस्थान दिनांक 18.07.2014

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,  
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

वि रु द्ध

कुँवरसिंग पिता रूखड़िया, आयु 35 वर्ष,  
निवासी-ग्राम देवड़ा, थाना ठीकरी,  
जिला - बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// नि र्ण य //

(आज दिनांक 29.07.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 147 / 2014 अंतर्गत 294, 323, 324, 506 भा.द.सं. में दिनांक 18.07.2014 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 22.06.2014 को समय प्रातः 7:00 बजे, ग्राम देवाड़ा में फरियादी के घर के पास फरियादी भारत को कुल्हाड़ी से सिर में मारकर उसे स्वैच्छया उपहति कारित करने के संबंध में धारा 324 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण में दिनांक 02.07.2014 को फरियादी भारत व अभियुक्त के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्त को धारा 294, 323, 506 भा.द.सं. के अपराधों से दोषमुक्त किया जा चुका है व तथा यह निर्णय फरियादी भारत संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324 भा.द.सं. के संबंध में किया जा रहा है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्वीकृत है कि फरियादी अभियुक्त को जानता है तथा पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी एवं अभियुक्त का खला सामलाती है। घटना दिनांक 22.06.2014 को प्रातः फरियादी के छोटे भाई कुंवरसिंग ने मकान बनाने की बात को लेकर विवाद करने लगा, फरियादी ने उसे कहा कि मकान यहाँ पर मत बना तो अभियुक्त ने उसे माँ-बहन की अश्लील गॉलिया दी व हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आया व फरियादी के सिर में उल्टे मुँद से कुल्हाड़ी मार दी जिससे रक्त निकलने लगा व एक ईंट उठाकर मारी जो उसके बायें साईड सीने में लगी और अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। विवाद में बीच-बचाव मुकेश एवं दशरीबाई ने किया। पुलिस ने फरियादी भारत द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 147/2014 अंतर्गत धारा 294, 323, 506 भा.द.स. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शनी 1 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की तथा अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरान्त प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत धारा 294, 323, 324, 506 भाग-2 भा.द.स. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323, 324, 506 भाग-2 भा.द.स. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा बचाव में कोई भी साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

क्या अभियुक्त ने दिनांक 22.06.2014 को समय प्रातः 7:00 बजे, ग्राम देवाड़ा में फरियादी के घर के पास फरियादी भारत को कुल्हाड़ी से सिर में मारकर उसे स्वैच्छया उपहति कारित की ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादी भारत (अ.सा.1) एवं प्रधान आरक्षक सुरभान (अ.सा.2) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

**साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार**  
**उक्त विचारीय प्रश्न के संबंध में**

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी भारत अ.सा.1 का कथन है कि अभियुक्त उसका छोटा भाई है। घटना 1 वर्ष पूर्व की है। उसका अभियुक्त से विवाद हुआ था। उसने प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट थाना ठीकरी पर लेखबद्ध कराई थी। पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण करवाया था। पुलिस ने उसकी निशांदाही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी का पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी मार दी थी जिससे उसे रक्त निकला था। साक्षी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि धक्का मुक्की में वह गिर गया था और उसे जमीन पर पड़ा पत्थर सिर में लग गया था जिससे उसे चोट आई थी। साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि उसने पुलिस को प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट एवं प्रदर्शपी 3 के कथन में अभियुक्त द्वारा सिर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात बताई थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसका राजीनमा हो गया है लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि उसका राजीनामा हो जाने से वह असत्य कथन कर रहा है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि पुलिस ने उसे प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट पढ़कर नहीं सुनाई थी और उसने पढ़ी भी नहीं थी।

8. प्रधान आरक्षक सुरभान अ.सा. 2 का कथन है कि दिनांक 22.06. 2014 को फरियादी भारत द्वारा थाने पर उपस्थित होकर अभियुक्त द्वारा कुल्हाड़ी मार देने तथा जान से मार देने की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जो प्रदर्शपी 1 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने प्रदर्शपी 2 का घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने अभियुक्त से एक लोहे की कुल्हाड़ी प्रदर्शपी 4 के अनुसार जप्त की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और चिकित्सक ने धारदार वस्तु से चोट आना बताया है। अतः उसने भादस की धारा 324 बढ़ाई थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी इस सुझाव से इंकार किया कि फरियादी ने उसे प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट एवं प्रदर्शपी 3 में अभियुक्त द्वारा कुल्हाड़ी से मारने वाली बात लिखाई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे साक्षियों ने कोई कथन नहीं दिये थे अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

9. प्रकरण में राजीनामा हो जाने के कारण किसी अन्य साक्षियों के कथन अभियोजन की ओर से नहीं कराये हैं। ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण के फरियादी स्वयं ने अभियुक्त से राजीनामा होने के कारण अभियुक्त द्वारा कुल्हाड़ी से मारने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं तो अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.स. के विरुद्ध 324 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है और उसे उक्त अपराध या अन्य किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है और उसके विरुद्ध कोई भी निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

10. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए धारा 324 भा.द.स. के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

11. प्रकरण में जप्तशुदा एक लोहे की कुल्हाड़ी मुल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट की जायें। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी

